

यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
11-21	<p>पत्रावली पेठा हुई। सप्लिमेंट रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न सिमाद (अभिनिम) की दफा- 5 के अर्चना- पत्र पर अपील अभिजापन को पुरा गया। अपील SUBJECT to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाये। अपील के साथ डेविट अर्चना- पत्र संलग्न है। अतः डेविट को नोटिस जारी किने जाकर पत्रावली दिनांक 3.11.21 को पेठा हो। ✓</p>
3 ¹¹ / ₂₁	<p>अभ्यापकवचन में वार एग्रीमेंट के विरोध में वार वार्ड स्थापित किया हुआ है। धरम पत्रावली में वादावृत्त वास्तविक दिनांक 8.11.21 को पेठा हो। डेविट कर्त को लाने के लिये जमा पंथ. सम्मन वापिस आजा हुआ, फिर पर आजा कर्त द्वारा "लेने से इनकार किया" की रिपोर्ट आजा हुई है। ✓</p>
8 ¹¹ / ₂₁	<p>पत्रावली पेठा हुई। अभिजापन अपीलान्त उपस्थित। अन्तिम स्वगन पर धरम पुरा जारी पत्रावली वास्तविक आदेवा अर्चना- पत्र दिनांक 9.11.21 को पेठा हो। ✓</p>
9 ¹¹ / ₂₁	<p>पत्रावली वास्तविक आदेवा स्वगन अर्चना- पत्र पेठा हुई। अपीलान्त अभिजापन की एकपक्षीय वस्तु पर मनन तथा नस्त अदालत के आदेवा दिनांक 28.9.21 का अवलोकन किया गया। नस्त अदालत द्वारा उल्लिखित जो बि विषय आराजी के सह-स्वातेदार हैं को बिना सुने उनके सिद्ध स्वगन आदेवा जारी किया गया है जो बि डायन सम्मत अर्चना- पत्र नहीं होता है, अतः नस्त अदालत उपरवण्ड अर्चना- पत्र उपरवण्ड जजिस्ट्रेट का आदेवा दिनांक 28.9.21 को उ० संख्या 289/21 उनवान धर्मेश्वर बनाम वेदउकाबा का उपलान निस्त करने के लिये नस्त अदालत उपरवण्ड अधिकारी, --- लगातार</p>

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
	<p>रफ्तार उपरान्त मजिस्ट्रेट नोटवाकिस को निर्देशा दिये जाते हैं कि वे अपने मसं लखित जा. पत्र 212 एच एच का निष्पत्ति उभयपक्षों को सुनकर CPC के आदेश-39 नियम 2 (5) में दी गई सत्रमावधि (30 दिवस) में दिमा जाना सुनिश्चित करें। अपीलवांट को निमत किंग को तहत अदालत में उपस्थित होने के निर्देशा दिये जाने के साथ-साथ अपील प्रतिप्रेषित (प्रेमपत्र) की जाती हैं। पत्रापत्ती फैसल शुमार होकर नम्बर से वस की जाकर बाद तदन्वील जाह्ला दारिकल पत्रावर हो।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अल

दिनांक